फैक्स/ई-मेल

संख्या-1053 पी/छः-पु-3-2017-06पी/12 टीसी

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊः दिनाकः 04 जुलाई, 2017

विषयः- आगामी श्रावण मास में आयोजित होने वाली कॉवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के सबंध में।

महोदय,

इस वर्ष दिनाक 10.07.2017 से श्रावण मास प्रारम्भ हो रहा है तथा इस मास का मुख्य पर्व श्रावण शिवरात्रि दि-नांक 21.07.2017 को पड़ेगा। इस अवसर पर शिवभक्त/कॉवडिये हरिद्वार, उत्तराखण्ड सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानो से गगा नदी एवं अन्य पवित्र नदियो से जल भरकर विभिन्न शिव-मन्दिरों मे जलाभिषेक/पूजा-अर्चना करते हैं। श्रावण शिवरात्रि के दौरान जलाभिषेक हेतु लगभग 02 सप्ताह पूर्व ही कॉवडियो एव शिव भक्तों का आवागमन प्रारम्भ हो जाता है, जिससे भीड़-भाड़ के कारण यातायात एवं अन्य कारणो से आम नागरिकों को असुविधा न हो तथा शान्ति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए समुचित प्रबन्ध अपेक्षित है।

2 श्रावण मास मे होने वाले कॉवड यात्रा को सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण मे सम्पन्न कराने के लिए इस वर्ष ऐसी उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि कावड यात्रियो को व्यवस्था मे बदलाव दिखाई पड़े और अपनी यात्रा सुविधापूर्वक एवं सुरक्षित तरीके से पूरी कर सके। कॉवड यात्रा एक धार्मिक यात्रा है जिसमे शिवभक्तों द्वारा भजन कीर्तन किया जाना स्वाभाविक है। इसके लिए आवश्यक होगा कि माo सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों, विभिन्न अधिनियमो एवं नियमों का पालन करते हुये उनको ध्वनि प्रसारको पर भजन संगीत बजाने की अनुमति दिये जाने की व्यवस्था की जाए।

3 इस सम्बन्ध मे माo सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Church of God (Full Gospel) in India vs K.K.R. Majestic Colony welfare Association and others मे यह निम्न टिप्पणी की गयी थी:-

"In our view in a civilized society in the name of religion activities which disturb old or infirm persons, students or children having their sleep in the

early hours or during day time or other persons carrying on other activities cannot be permitted."

4 इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में इलाहाबाद पीआईएल संख्या-47386 आफ 2015 विक्की देवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2015 मे निम्न टिप्पणी की गयी थीः-

> "The Supreme Court has emphasised that right to have in an atmosphere free from noise pollution is guarantee under Article 21 of The Constitution and that noise is more than just a nuisance. In fact, the Supreme Court has observed that 'right to live in freedom from noise pollution' is a fundamental right and noise pollution beyond the permissible limits is an in road on that right.
>
> In this view of the matter. "It cannot be said that action of the State Authorities in prohibiting the use of DJ Sound Systems would infringe upon the rights of 'Kawandiyas' carrying the water of the holy rivers to various places in the State. The 'Kawandiyas' have to move in a peaceful manner so as not to disturb the tranquility of the persons who are either residing close to the roads or are travelling on such roads."

5. मा0 न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों से स्पष्ट है कि श्रावण यात्रा के दौरान जो ध्वनि प्रसारक बजाने की अनुमति दी जाय वह मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आदेशों तथा ध्वनि प्रदूषण के नियमों के अनुसार दी जाये। जिससे आस-पास के लोगो के शान्तिपूर्ण जीवन यापन में विघ्न न पड़े तथा शान्ति व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो।

6. इस संबंध में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 की नियम-5(1) में प्राविधानित है कि बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के कोई भी लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग नही किया जायेगा। इसी तरह नियम-(2) के अनुसार रात्रि के समय लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम रात्रि (22.00 बजे से 06.00 बजे तक) में नहीं प्रयोग किया जायेगा। इसी नियमावली के नियम-3(5) के अनुसार किसी भी चिकित्सालय, शैक्षिक संस्थानो तथा कोर्ट के चारों ओर कम से कम 100 मीटर का क्षेत्र शांत क्षेत्र/जोन घोषित किया जायेगा।

7. इस सम्बन्ध मे सभी जनपदो मे धारा 144 लागू करते हुए डीजे को प्रतिबन्धित किया जाएगा और इसकी सूचना जनपद के सभी डीजे रखने वालों को दी जाएगी। कॉवड़ यात्रा के सम्बन्ध मे जो कॉवड़ समितियाँ डीजे के इतर अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की अनुमति हेतु आवेदन करना चाहती है उनसे आवेदन संलग्न प्रारुप-1 पर प्राप्त कर लिया जाए। उक्त आवेदन के सम्बन्ध मे पुलिस आख्या प्राप्त कर अनुमति कावड़ समिति के मुख्यालय के जनपद के जिलाधिकारी द्वारा संलग्न प्रारुप-2 पर दी जाएगी, जो अनुमति की शर्तों के पालन की दशा मे सम्पूर्ण मार्ग के लिए जिलाधिकारी द्वारा नियत अवधि के लिए मान्य होगी। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न होने दिया जाये। अनुमति प्रदान करते समय कांवड समितियो को क्या करें व क्या न करे (Dos & Don'ts) की एक प्रति भी प्राप्त

करा दी जाए। सुलभ संदर्भ हेतु क्या करें व क्या न करें (Dos & Don'ts) प्रारुप-3 के रुप में संलग्न है, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा बढाये व घटाये जा सकते हैं और आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

8. सभी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि थाना स्तर पर कॉवड समितियों की गोष्ठियों अवश्य आयोजित हो जाए, जिसमें सम्बन्धित उपजिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहें। इस गोष्ठी के मध्य कॉवड़ समिति के पदाधिकारियों को आवश्यक जानकारी देते हुए उनको क्या करें व क्या न करें (Dos & Don'ts) अवश्य बताया जाए। इसके अतिरिक्त जनपद स्तर पर तथा कॉवड़ मार्गों पर पड़ने वाले थानों पर शान्ति समिति की बैठकें भी आयोजित कर ली जाए। इन गोष्ठियों में जनपद तथा थाना क्षेत्र मे रहने वाले प्रबुद्ध नागरिकों से भी कॉवड़ यात्रा को शान्तिपूर्ण और सुगमता से पूर्ण करने के लिए उनका सहयोग प्राप्त किया जाए तथा उनसे व्यवस्थाओं में भी सहयोग देने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

9. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उपरोक्त निर्देशों का पालन कराते हुए इस वर्ष की कॉवड़ यात्रा के दौरान ऐसी उत्तम व्यवस्थायें आम नागरिकों व स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि कॉवड यात्रियों की यात्रा सुविधापूर्ण व शान्तिपूर्वक ढंग से सम्पन्न हो और उनको व्यवस्था में बदलाव भी दिखाई पड़े।

संलग्नकः

1. प्रारुप-1 (01 पृष्ठ)
2. प्रारुप-2 (03 पृष्ठ)
3. प्रारुप-3 (02 पृष्ठ)

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, सचिव, गृह (म व भ) उत्तर प्रदेश शासन।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भगवान स्वरुप)
सचिव।

kawadrealesh

प्रारुप-1

कांवड़ यात्रा --2017 में स्पीकर/ साउण्ड बाक्स प्रयोग के अनुमति हेतु प्रार्थना–पत्र

सेवा में ,
जिलाधिकारी / उप जिलाधिकारी
जनपद / तहसील---------

विषय–कांवड़ यात्रा–2017 में स्पीकर/ साउण्ड बाक्स के प्रयोग की अनुमति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

1– आवेदक का नाम व पता ---
2– कांवडियों की संख्या -----
3– जल लेने का घाट का नाम/पता -------
4– जलाभिषेक का मन्दिर का नाम व पता--------
5– यात्रा आरम्भ करने का दिनांक -------
6– यात्रा का मार्ग(किस स्थान से किस स्थान के लिए) ----------

निवेदन है कि कांवड़ यात्रा मार्ग में भक्ति संगीत व कीर्तन हेतु स्पीकर/ साउण्ड बाक्स का प्रयोग करना चाहते हैं। इस वर्ष 2017 में पूरी कांवड यात्रा मार्ग हेतु स्पीकर/साउण्ड बाक्स प्रयोग की अनुमति चाहता हूँ। मैं अनुमति के समय लगाई जाने वाली सभी शर्तों के पालन करने का वचन देता हूँ।

2– अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार स्पीकर/साउण्ड प्रयोग की सशर्त अनुमति देने की कृपा करें।

दिनांक----------

नाम--------
पिता का नाम----------
ग्राम----------
थाना----------
तहसील----------
जनपद----------
मोबाइल नम्बर----------
पहचान पत्र नम्बर----------
(आधार कार्ड / वोटर आईडी, पैन आदि)

प्रारूप–2

कांवड़ यात्रा 2017 में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु अनुमति दिये जाने का प्रारूप

यह अनुमति कांवड यात्रा 2017 (दिनांक 09 जुलाई, 2017 से 07 अगस्त, 2017) के लिए कांवड समिति (नाम)..... पता..... द्वारा आवेदक (नाम ..... पता..... मोबाइल नं0 .....) द्वारा उनके आवेदन पत्र दिनांक ..... में की गयी याचना तथा दिये गये आश्वासन के क्रम में निर्गत की जाती है। इस कांवड़ समिति के अन्तर्गत कांवरियों द्वारा पावन जल घाट (नाम)..... पता..... से लेकर .....मन्दिर, जनपद ..... में जलाभिषेक किया जायेगा। इस यात्रा का रूट ..... रहेगा। अतः यह अनुमति केवल इस रूट के लिए ही मान्य होगी। इस रूट से विचलन की दशा में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2 मार्ग में ध्वनि विस्तारक यंत्रों/लोक सम्बोधन प्रणाली के प्रयोग की अनुमति संलग्न शर्तों के अधीन प्रदत्त की जाती है। शर्तों के अनुपालन में विचलन होने की दशा में यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा कांवड़ समिति के विरुद्ध विधिक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित जिला/पुलिस प्रशासन स्वतंत्र होगा।

3. यह अनुमति केवल उक्त अवधि के लिए मान्य होगी तथा समीपवर्ती राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखण्ड, राजस्थान आदि के लिए मान्य नहीं होगी। यह कांवड समिति तथा उसके सदस्यों का दायित्व होगा कि यदि प्रदेश के बाहर जाना प्रस्तावित हो तो समीपवर्ती राज्यों के नियम/शर्तों की जानकारी प्राप्त कर लें तथा उनके द्वारा निर्धारित नियमो/निर्देशों /शर्तों के अनुरूप पृथक अनुमति सम्बन्धित राज्यों के नियत प्राधिकारियों से प्राप्त करें।

4. निर्धारित शर्तों के अनुपालन का दायित्व कांवड समिति, उसके सदस्यों तथा आवेदक का होगा। यदि शर्तों के अनुपालन में कोई भी विचलन पाया जाता है अथवा शान्ति व्यवस्था की कोई स्थिति समिति के सदस्यों के बर्ताव के कारण होती है तो विधिक कार्यवाही सुसंगत प्राविधानों के अतर्गत की जायेगा तथा कांवड़ समिति को आगामी वर्षों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. कांवड समिति/आवेदक यह सुनिश्चित करायेंगे कि उनके तत्वावधान में निकलने वाले समस्त कांवरिये अपने साथ समुचित पहचान पत्र अवश्य रखे तथा अपने सदस्यों को

भी इन नियमों/शर्तों से अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दें।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर .....
जिलाधिकारी
जनपद .....
उत्तर प्रदेश
(मोहर)

.....

shashnadesh

कॉवड यात्रा के दौरान कावंडियों के मार्गदर्शन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव (Do's and Dont's)

क–क्या करना है। (Do's)

1 अपने ग्राम अथवा जत्थे/समूह के लोगों के साथ ही रहें।

2– अपने साथ अपना आईडी कार्ड (परिचय पत्र–आधार निर्वाचन कार्ड आदि) अवश्य रखें।

3– अपने साथ एक कागज पर अपना फोन नम्बर व अपने साथियों का फार्म नम्बर अपने बैग/बस्ते में अवश्य रखें।

4 कोई विशेष बीमारी हो तो उसकी दवा अपने साथ अवश्य रखे। साथ ही सामान्य प्रकार की दवाईयां जैसे फीवर, दस्त, वदन दर्द उल्टी आदि की दवा भी यथा सम्भव साथ रखे।

5– परिचित/सुरक्षित स्थान पर ही रूके।

6– कॉवडियों के लिए निर्धारित किये गये मार्ग का ही प्रयोग करें।

7– पुलिस प्रशासन आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है उनका सहयोग करें और सहयोग प्राप्त करें।

8– अस्वस्थ होने पर तत्काल निकटवर्ती चिकित्सालय/पुलिस बूथ अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं के व्यक्तियों से सम्पर्क करें।

9 किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में 100 डायल, 108 (एम्बुलेंस) एवं 1090 (महिला हेल्प लाइन नम्बर) पर सूचना दें।

10– कॉवड यात्रा के रास्तों पर चलने वाले राहगीरों के साथ सहयोग करें और उनसे सहयोग प्राप्त करें।

11– आकस्मिक दशा में एम्बुलेन्स जा रही हो तो उसके लिए मार्ग छोड़ते हुये उसको सुचारू रूप से जाने दें।

12– किसी भी प्रकार की ऐसे पैरोडी/गीत न बजाये जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष धर्म विशेष की भवना को चोंट पहुँचें।

13– यदि कोई आशंका हो तो उसके बारे में किसी जिम्मेदार व्यक्ति जैसे सुरक्षाकर्मी या स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उसके बारे में जानकारी कर लें।

ख–क्या नहीं करना है (Dont's)

1– कॉवडियों के किसी भी जत्थे/समूह को डी0जे0 का प्रयोग नहीं करना है यह पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

2– राहगीरों अथवा अपरिचित व्यक्तियों से कोई सामग्री प्राप्त न करें।

3– यात्रा के दौरान मार्ग में किसी से दुर्व्यवहार न करें।

4– विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोये और उत्तेजित न हों।

5– यात्रा के दौरान किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन अथवा धूम्रपान आदि न करें।

6– यह एक धार्मिक यात्रा है यात्रा के दौरान कोई ऐसा आचरण न करें, जिससे आपकी छवि धूमिल हो।

7– कॉवड यात्रा के मार्गों पर किसी प्रकार की गन्दगी आदि न फैलाये। इसके लिए कूडेदान का प्रयोग करें।

8– अपरिचित एवं असुरक्षित स्थान पर न रुकें। सडक मार्ग में न सोयें।

9– मामूली दुर्घटना या असुविधा पर नारेबाजी/धरना आदि न करें।

10– किसी के बहकावे में न आयें और न ही अफवाहों पर ध्यान दें।

11– किसी घटना/दुर्घटना होने पर भीड न लगायें और न ही अनावश्यक रूप से उत्तेजित हों।

12– मिश्रित आबादी वाले इलाकों से गुजरते समय उत्तेजनात्मक/आपत्तिजनक नारों का प्रयोग न करें।

13– परम्परा से हटकर कोई मार्ग/जुलूस या कार्यक्रम न करें।

14– बिना टिकट ट्रेनों व बसों में यात्रा न करें।